ఆంధ్రాబ్యాంక్
(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ)
आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

आन्ध्रा बैंक
प्रधान कार्यालय
"डॉ. पट्टाभि भवन"
5-9-11, सैफाबाद
हैदराबाद - 500 004

Andhra Bank
Head Office
"Dr. Pattabhi Bhavan"
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004.

DEPT: Board Secretariat
Merchant Banking Division
Telefax 040-23230883;Tel.No.040-23252371
E-mail: mbd@andhrabank.co.in

Lr. No. 666/25/P.181/28

Dt: 11.04.2017

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051.

SYMBOL: ANDHRABANK

Dear Sirs,

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on May 06, 2017.
Ref: Our Letter No. 666/25/P.181/17 dated March 07, 2017

Further to our Letter No. 666/25/P.181/17 dated March 07, 2017, we wish to inform that the Extra-ordinary General Meeting of the Bank is scheduled to be held on May 06, 2017 at 11.00 A.M. at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004 for seeking shareholders' approval for the mentioned below purposes –

a. raising of Equity Capital of the Bank by issuance of Equity Shares to Government of India (GOI) on preferential basis, and;

b. raising of Equity Capital of the Bank through Qualified Institutional Placement, Follow-on Public Offer, etc. at an appropriate time.

Further to the above, we wish to inform that in terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized, form as on the cut – off Date i.e. April 29, 2017 will be entitled to attend the meeting and cast their vote electronically or at the meeting through POLL. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders of the Bank from 10.00 a.m. on Wednesday, May 03, 2017 to 05:00 p.m. on Friday, May 05, 2017 and the e-voting platform will be disabled thereafter.

ANDHRA BANK M.B. Division

आन्ध्रा बैंक
ANDHRA BANK

आगे की शीट
Continuation Sheet

We enclose copy of " Notice of Extraordinary General Meeting" of the Bank for your information and record.

Yours Sincerely,

(Y. Amarnath)
Company Secretary

Encl: as above

ANDHRA BANK M.B. Division Hyd.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

असाधारण सामान्य बैठक

शनिवार, 06.05.2017, को सुबह 11.00 बज़े

स्थान : प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Saturday, 06.05.2017 at 11.00 am

at

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

विषय सूची
CONTENTS

पृष्ठ संख्या
Page No.

सूचना 1
NOTICE 16

सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ 5
NOTES TO NOTICE 21

उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास 14
ATTENDANCE SLIP, ENTRY PASS 30

प्रॉक्सी फार्म 15
PROXY FORM 31

CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS	
Specified / Cut-off Date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the voting either through Remote e-voting or at the General Meeting through Poll	Saturday, 29.04.2017
Last Date for receipt of Proxy Forms/ Resolutions appointing Authorised Representatives	Saturday, 29.04.2017
Remote e-voting Period	Wednesday – Friday 03.05.2017 – 05.05.2017
Date and Time of Extra-ordinary General Meeting	Saturday, 06.05.2017 at 11.00 A.M

प्रधान कार्यालय : **डॉ.पट्टाभि भवन,** 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 004.
शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभाग: डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 004.
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. युनिट: आन्ध्रा बैंक, 002, **भू-तल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग** 5, **पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई –** 400 009

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Shareholders & Investor Relation Section: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED, UNIT: ANDHRA BANK, 002, GROUND FLOOR, KASHIRAM JAMNADAS BLDG., 5, P.D'MELLO ROAD, MASJID EAST, MUMBAI - 400 009. Ph. No. 022-40206020/22/23/24, Fax No. 022-40206021

आन्ध्रा बैंक

विभाग : बोर्ड सचिवालय
(व्यापारी बैंकिंग प्रभाग)
प्रधान कार्यालय : हैदराबाद

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक शनिवार, 06.05.2017 को प्रात: 11.00 बज़े 'पट्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004 में निम्न व्यवसाय की पूर्ति हेतु आयोजित की जाएगी :

मद सं. 1 : भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन द्वारा ईक्विटी शेयर जारी करके पूंजी बढाना :

निम्न विशेष संकल्प पर विचार करना एवं यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना पारित करना ।

'संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 एवं आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के अनुसरण में एवं भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं / या इस संबंध में, अपेक्षित अनुसार अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदनों, सम्मतियों, मंजूरियों, यदि हो, के अधीन एवं ऐसे अनुमोदनों की मंजूरी में, जैसा उनके द्वारा निर्धारित अनुबंधों, शर्तों एवं संशोधनों, जिनके लिए आन्ध्रा बैंक के निदेशक मंडल सहमत है कि अधीन एवं समय-समय पर संशोधित सेबी (पूंजी एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) अधिनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) अधिनियम, 2011 एवं आरबीआई द्वारा निर्धारित विनियम एवं समय-समय पर सभी अन्य संबंधित प्राधिकारियों के अधीन एवं स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके उपरांत अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को नकद रु. 57.40 पैसे में प्रति शेयर रु. 47.40 पैसे प्रति शेयर प्रीमियम सहित) के लिए अंकित मूल्य प्रत्येक रु 10/- के 19,16,37,630 (उन्नीस करोड़ सोलह लाख सैंतीस हजार छ:सौ तीस) तक ईक्विटी शेयर सृजन, अर्पण, जारी एवं आबंटन द्वारा पूंजी बनाने के लिए 'बोर्ड कहलाएगा', सेबी आईसीआर विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार जैसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है एवं कुल रु 1100 करोड़ तक, के अधीन ।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी मूल्य निश्चित करने के लिए संबंधित तारीख 06.04.2017 है। '

'यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड की अपेक्षाओं या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या जारी, आबंटन एवं सूचीबद्ध करने एवं बोर्ड की सहमति के अनुरूप उनके अनुमोदनों, सम्मतियों, अनुमतियों की मंजूरी के समय अन्य प्राधिकारियों द्वारा लागू किये अनुसार प्रस्ताव में कोई संशोधन स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार होगा।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये गये कथित ईक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समान किए होंगे एवं ऐसी घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि हो, के लिए पात्र होंगे।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्य, मामले एवं विषय, जो अपने संपूर्ण विवेकाधीन अधिकारों के अंदर आवश्यक, उचित एवं वांछित समझें, करने एवं ईक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में कोई प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटान करने एवं ऐसे सभी कार्य, मामले एवं विषय एवं सभी दस्तावेजों एवं लिखतों का जैसा आवश्यक, वांछित या उचित हो, अपने संपूर्ण विवेकाधीन अधिकारों के अंदर जैसा उपयुक्त, सही या वांछित समझे, शेयरधारकों की और संपत्ति या अनुमोदन की अपेक्षा किये बिना अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने का प्राधिकार दिया जाता है एवं यह समझें कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन दिया जाना माना जाएगा।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि एतद्द्वारा बोर्ड को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ को एवं / या प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक(कों) को सौंपे गये सभी या किसी भी अधिकार का उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।'

<u>मद सं. 2 : अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर द्वारा पूंजी बढाना :</u>

निम्न विशेष संकल्प पर विचार करना एवं यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना पारित करना ।

"संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980(योजना) तथा आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के और समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ("आर बी आई"), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी"), और/या किसी अन्य प्राधिकारी से यथापेक्षित अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे निबंधन, शर्त और आशोधन, जिससे बैंक के निदेशक मंडल सहमत हों, की शर्त पर, और अद्यतन संशोधन सहित सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन, 2009) और भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत स्पष्टीकरण सभी अन्य संबंधित प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम की शर्त पर और शेयर बाजारों में, जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्त पर, बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद 'बोर्ड' कहा गया है, जिससे यह माना गया कि इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठन की जानेवाली पूंजी निर्गम समिति शामिल है) को एक या अधिक भागों में, एक या अधिक सदस्यों सहित, बैंक के कर्मचारी, भारतीय राष्ट्रिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनी, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाएं, सोसाईटी, न्यास, अनुसंधान संगठन, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता ("क्यूआईबी"), यथा विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारतीय म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनी, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थाएं या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी, जो ईक्विटी/अधिमानी शेयर/बैंक की प्रतिभूतियों में उचित माने गए अनुसार उपर्युक्त में से किसी भी कॉम्बिनेशन में, निवेश करने हेतु प्राधिकृत हैं, को रु.681.16 करोड़ के वर्तमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ-साथ ऐसी राशि (बैंक के बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा लिए जानेवाले निर्णय के अनुसार) रु.3000 करोड के भीतर, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतर) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी है या भविष्य में अधिनियम में किए जाने वाले आशोधन (यदि कोई) के अनुसार संवर्धित प्राधिकृत पूंजी की सीमा तक, भारत या विदेश में, ईक्विटी शेयर और/या अधिमानी शेयर (संचयी या नहीं, ईक्विटी में परिवर्तनीय या नहीं) की ऐसी संख्या, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

समय समय पर बनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों, अधिमानी शेयरों की श्रेणी विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसे अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, चाहे बेमीयादी हो या मोचनीय, अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी हेतु लागू नियम और शर्तों पर, और/या अन्य अनुमत प्रतिभूति, जिन्हें ईक्विटी में परिवर्तन हेतु अनुमति हो या न हो, हेतु प्रस्ताव प्रलेख/प्रास्पेक्टस या ऐसे किसी अन्य प्रलेख के माध्यम से बैंक द्वारा सृजन, ऑफर, निर्गम और आबंटन करने हेतु (इसमें फर्म आबंटन पर आरक्षण और/या निर्गम के ऐसे अंश के प्रतिस्पर्धात्मक आधार शामिल है और तत्समय लागू विधि द्वारा अनुमत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए) बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी प्लेसमेंट, अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा जीओआई/भारिबैं द्वारा अन्य किसी पद्धति द्वारा किया जाएगा, जिसमें अति आबंटन विकल्प हो या न हो और ऐसा ऑफर, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अधिप्राप्ति और अंतरण) अधिनियम 1980, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 ("आईसीडीआर विनियम") और भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और यथा लागू कोई अन्य प्राधिकार, द्वारा जारी सभी अन्य दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और ऐसे समय और पद्धति और बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित माने गए ऐसे नियम और शर्तों पर किया जाएगा" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को ऐसी कीमत या कीमतों पर और ऐसी पद्धति में जहां कहीं आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या निम्नांकक और/या अन्य सलाहकार के परामर्श से या अन्यथा बोर्ड द्वारा, अपने पूर्ण विवेकानुसार, ऐसे मूल्य पर जो आईसीडीआर विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो, आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और कोई या सभी अन्य लागू विधि, नियम, विनियम और दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियां निवेशकों को जारी करने का निर्णय ले सकता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के सदस्य हों या न हों" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि सैबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधान, आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के प्रावधान, सेबी आईसीडीआर विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधान और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेश में रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं), विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और प्रवर्तन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और यथापेक्षित सभी अन्य प्राधिकारी (अब से सामूहिक रूप से 'उचित प्राधिकारी' कहा जाएगा) से अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी की शर्त पर और इनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (अब से 'आवश्यक अनुमोदन' कहा जाएगा) प्रदान करते समय यथा निर्धारित शर्तों पर, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकानुसार, समय-समय पर, क्यूआईबी (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में परिभाषा के अनुसार) को आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के अनुपालन में, प्लेसमेंट प्रलेख और/या ऐसे अन्य प्रलेख/लिखित/परिपत्र/ज्ञापन के माध्यम से और ऐसी पद्धति और ऐसे मूल्य, नियम और शर्तों पर, जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा आईसीडीआर विनियम और तत्समय लागू विधि के अन्य प्रावधान के अनुसार एक या अधिक भागों में, ईक्विटी शेयर या वारंट के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिभूति, जो बाद की तारीख में ईक्विटी शेयर के रूप में परिवर्तनीय या के साथ विनिमय योग्य हैं, इस प्रकार से निर्गम, आफर और आबंटित कर सकता है, ताकि बैंक में केंद्र सरकार का अंश भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रतिशत से कम न हो; बशर्ते कि इस प्रकार निर्गमित ईक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आईसीडीआर विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार आकलित मूल्य से कम न हो" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में:

क) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत क्यूआईबी को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के अंदर किया जाएगा।

ख) बैंक आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधान के अधीन क्यूआईपी के लिए इस प्रकार आकलित मूल्य के पांच प्रतिशत से अनधिक बट्टे पर शेयर ऑफर करने हेतु प्राधिकृत है ।

ग) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबंधित तिथि आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा निर्गम, आबंटन और इनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी प्रदान करते समय अपेक्षित या अधिरोपित अनुसार और बोर्ड द्वारा सहमति दिए अनुसार प्रस्ताव में आशोधित स्वीकार करने का प्राधिकार होगा" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए ईक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर/प्रतिभूति, यदि हो का निर्गम और आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत यथा लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के अधीन है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए ईक्विटी शेयर, संशोधित अनुसार आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) अधिनियम, 2003 की शर्त पर ऐसी घोषणा के समय यथा लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसरण में सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयर, लाभांश सहित, यदि हो, की सममात्रा होंगे" ।

'आगे यह संकल्प किया जाता है कि ईक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु सार्वजनिक ऑफर के नियमों को निर्धारित करने हेतु बोर्ड को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, इसमें प्रतिभूति आबंटित करने हेतु निवेशकों की श्रेणी, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित माने गए अनुसार निर्गम पर प्रीमियम राशि तथा ऐसे सभी कृत्य, कार्य करने, मामलों और विषय के संबंध में निर्णय लेने, ऐसे विलेख, प्रलेख और करार, जिन्हें वे अपने पूर्ण विवेकानुसार आवश्यक, उचित या वांछनीय मानते हो, निष्पादित करने और किसी प्रश्न, समस्या और शंका, जो सार्वजनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम आगम के उपयोग के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं के निपटान हेतु अनुदेश या निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकानुसार बैंक के हित में उचित और सही माने जाने के अनुसार नियम और शर्तों के संबंध में ऐसे आशोधन, परिवर्तन, विचलन, बदलाव, विलोपन और संवर्धन करना शामिल है, और इसके लिए सदस्यों से आगे अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और बैंक को तथा बोर्ड को इस संकल्प के माध्यम से प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्द्वारा किसी भी बुक रन्नर, लीड मैनेजर/रों, बैंकर/रों, निम्नांकक/कों, डिपोजिटरी/यों, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक और ऐसी सभी एजेंसी, जो ईक्विटी/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों की ऐसी ऑफरिंग में शामिल या संबद्ध है, के साथ ऐसी व्यवस्था के निष्पादन के लिए प्राधिकृत

है और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि पारिश्रमिक देगा और ऐसी सभी व्यवस्था, करार, ज्ञापन, प्रलेख आदि का निष्पादन ऐसी ऐजेंसियों के साथ करेगा" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु बोर्ड लीड मैनेजरों, निम्नांककों, सलाहकारों तथा/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों को एतदद्वारा निर्गम के प्रारूप और शर्तों के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन हेतु निवेशकों की श्रेणी, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित की जाने वाली शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि हो) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के वारंट/शोधन के प्रतिभूति/निष्पादन के निर्गम/संपरिवर्तन पर प्रीमियम राशि, ब्याज-दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमानी शेयर की संख्या, अथवा संपरिवर्तन पर अन्य प्रतिभूतियां अथवा शोधन अथवा प्रतिभूतियों, मूल्य, प्रीमियम का निरसन अथवा प्रतिभूतियों का निर्गम/संपरिवर्तन पर बट्टे, ब्याज-दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकार्ड तारीख या बुक क्लोजर का निर्धारण तथा संबद्ध अथवा प्रासंगिक मामले, भारत में और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग भी शामिल है, जिसे बोर्ड अपने विवेकानुसार उपयुक्त समझता है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि इन शेयरों/प्रतिभूतियों के जो भाग सब्सक्राइब नहीं है, बोर्ड उसे अपने विवेकानुसार डिस्पोज-ऑफ कर सकता है, जैसाकि बोर्ड उचित समझता है और कानून द्वारा अनुमेय है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु, बोर्ड को ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषय, करने का प्राधिकार दिया जाए और एतदद्वारा प्रदान किया जाए, जो अपने पूर्ण विवेक के आधार पर आवश्यक, उचित और वांछनीय प्रतीत हो और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, समस्या या शंका को निपटाने और आगे ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषयों को अंतिम रूप देने और ऐसे सभी आवश्यक, उचित और समीचीन प्रलेख और लेखनी निष्पादित करने, जिन्हें अपने पूर्ण विवेक के आधार पर उपयुक्त, उचित या वांछनीय माने जिसके आशय और उद्देश्य के लिए शेयरधारकों से और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न हो और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार से इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट अनुमोदन प्रदान किया है" ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इससे प्रदत्त सभी या कोई अधिकार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तथा/अथवा प्रबंध निदेशक एंव मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक/कों को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकार एतदद्वारा प्रदान किया जाता है"।

निदेशक मंडल हेतु और की ओर से

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 07/04/2017

(वाई अमरनाथ)
कंपनी सचिव

टिप्पणियां :

1. वर्णनात्मक विवरणी

प्रदत्त पूंजी जुटाने के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाने वाली वर्णनात्मक विवरणी संलग्न है।

2. मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार नए प्रतिनिधि बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के अतिरिक्त मतदान अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

उपर्युक्त की शर्त पर, आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के विनियम 68 के अनुसार, अंतिम (विनिर्दिष्ट) तिथि यानी **29.04.2017** तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को रिमोट ई-वोटिंग / चुनाव द्वारा वोटिंग हेतु उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट प्राप्त होगा।

कृपया नोट करें कि इस तिथि को शेयर होल्ड करने वाले मात्र शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग / मतदान द्वारा वोट देने हेतु पात्र होंगे ।

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले दर्ज व्यक्ति को, मतदान हेतु, इसका एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो **प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और संकल्पों पर मतदान देने हेतु पात्र हैं।**

3. वार्षिक साधारण बैठक की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु अंतिम तिथि

बैंक ने वार्षिक साधारण बैठक की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु **शुक्रवार, 07.04.2017 अंतिम तिथि** निर्धारित की है।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति

शेयरधारक जिसे बैठक में भाग लेकर वोट करने का हकदार है, को अपने स्थान पर साधारण बैठक में भाग लेने और मतदान में भाग लेने हेतु प्रॉक्सी को नियुक्त करने का अधिकार है और ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावी होने हेतु, प्रॉक्सी फार्म बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले याने कि 29.04.2017 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए। बैंक के किसी भी कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने हेतु कंपनी के विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति वाले संकल्प की एक प्रति, बैठक की तिथि से न्यूनतम 4 दिन पूर्व याने कि 29.04.2017 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले हैदराबाद में बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करा दी जाए।

6. उपस्थिति सह प्रवेश हेतु पासः

सदस्यों की सुविधा हेतु, उपस्थितिपर्ची- इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे फार्म भरकर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास हेतु बैठक के स्थान के गेट पर दें ।

शेयरधारक के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि के रूप में, जैसा भी मामला हो, उपस्थिति पर्ची पर दर्शाना चाहिए।

7. मतदान प्रक्रिया

कार्यसूची मद पर वोटिंग हाथ उठाने के आधार पर नहीं होगी लेकिन आम बैठक के स्थान पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा तथा गुप्त मत-पत्र द्वारा होगी ।

रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम बैंक की वेबसाईट तथा रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाईट पर रखे जाएंगे तथा स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा ।

8. इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2015 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुपालन में तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसार सभी शेयरधारकों को भौतिक बैलट के अलावा रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प देते हुए बैंक को अत्यंत प्रसन्नता है, ताकि वे संकल्प पारित करने हेतु अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकें।

शेयरधारकों द्वारा साधारण बैठक में प्रस्तावित संकल्पों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रानिक माध्यम से करनेकी सुविधा को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 19.03.2015 की अधिसूचना के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग का नाम दिया गया है। इन नियमों को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) आशोधन नियम, 2015 कहा जाता है।

इस प्रयोजन के लिए बैंक ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रदान करने के लिए मैसर्ज सेंट्रल डिपासिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी, व्यावसायिक कंपनी सचिव, थाने को रिमोट ई-वोटिंग और मतदान प्रक्रिया को उचित और पारदर्शी पद्धति में आयोजित करने हेतु जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

बैठक की तिथि से पूर्व जिन शेयरधारकों ने पहले ही अर्थात् रिमोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया हो वे बैठक के स्थान पर मतदान के माध्यम से वोट करने के हकदार नहीं होंगे । रिमोट ई-वोटिंग विकल्प है ।

इलैक्ट्रानिक रूप से मतदान हेतु सदस्यों को अनुदेश निम्नानुसार है :-

(i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि 03.05.2017 को 10.00 बजे से प्रारंभ होगी और 05.05.2017 को सायं 5.00 बजे को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) अर्थात् दिनांक 29.04.2017 को भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर रखते हैं, अपना वोट इलैक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल किया जाएगा ।

(ii) शेयरधारक ई-वोटिंग वैबसाईट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें।

(iii) शेयरधारकों पर क्लिक करें।

(iv) अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।

क. सीडीएसएल हेतु : 16 अंक हिताधिकारी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए - 8 अंक डीपी आई डी के बाद 8 अंक ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करें।

(v) आगे प्रदर्शित इमेज सत्यापन हेतु प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और www.evotingindia.com में लॉग करके इससे पहले किसी कंपनी के लिए मतदान कर चुके हैं तो अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग करें ।

(vii) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए अनुदेशों का पालन करें।

अंतिम तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) 29.04.2017 को डीमैट रूप में और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक आल्फा-न्यूमरिक पैन नंबर दर्ज करें। (डीमैट शेयरधारक तथा भौतिक शेयर धारक दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपागार प्रतिभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि अपने नाम के पहले दो अक्षर और क्रम संख्या के 8 अंक पैन फील्ड में दर्ज करें। • यदि क्रम संख्या 8 अंक से कम हो तो नाम के पहले दो अक्षर बडे अक्षरों में दर्ज करने के बाद उचित संख्या में 0 लिखें । उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रमेश कुमार है और क्रम संख्या 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 दर्ज करें।
लाभांश बैंक विवरण	लॉगइन करने के लिए अपने बैंक रिकार्ड या डीमैट खाते में रिकार्ड किए अनुसार जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई फार्मेट में) या लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें। यदि निक्षेपागार या बैंक के पास दोनों विवरण दर्ज नहीं हैं तो कृपया अनुदेश (v) में दिए अनुसार सदस्य आईडी/ फोलियो नंबर लाभांश बैंक विवरण फील्ड में दर्ज करें।

(viii) ये विवरण ठीक से दर्ज करने के बाद 'सब्मिट' टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य तब सीधे कंपनी चयन स्क्रीन देख पाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड सृजन' मेनु पर आएंगे जहां उन्हें अनिवार्यत: अपना लॉगइन पासवर्ड नए पासवर्ड फील्ड में दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि यदि डीमैट धारक किसी अन्य कंपनी के संकल्पों पर मतदान देने के पात्र हैं तो वे इसी पासवर्ड का उपयोग करेंगे बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म द्वारा मतदान देने का चयन करता है। यह सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखें।

(x) भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा इस नोटिस में समाविष्ट संकल्पों पर रिमोट ई–वोटिंग हेतु इन विवरणों का उपयोग किया जा सकता है।

(xi) ईवीएसएन पर मतदान के लिए संबंधित <Andhra Bank> के चयन हेतु क्लिक करें।

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप 'संकल्प विवरण' देखेंगे और इसपर मतदान हेतु 'हॉ/नहीं' विकल्प देखेंगे । अपनी इच्छा अनुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां का अर्थ है कि आप संकल्प हेतु अपनी सहमति दे रहे हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो 'संकल्प फाईल लिंक' पर क्लिक करें।

(xiv) मतदान हेतु संकल्प का चयन करने के बाद 'सब्मिट' पर क्लिक करें। पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए 'कैंसिल' पर क्लिक करें और अपने वोट को तदनुसार बदलें।

(xv) 'पुष्टि' के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे।

(xvi) आप अपने द्वारा किए गए वोटिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको मतदान पृष्ठ पर 'क्लिक हियर टू प्रिंट' विकल्प पर क्लिक करना होगा।

(xvii) यदि डीमैट खाता धारक अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वे यूज़र आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज कर फोरगोट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें।

(xviii) शेयरधारक एनड्रोयड आधारित मोबाइलों के लिए उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प का प्रयोग करते हुए अपना वोट दे सकते हैं । एम-वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । आईफोन और विंडोस फोन प्रयोक्ता क्रमश: एप्प स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से 30 जून 2016 या उसके बाद एप्प डाउन लोड कर सकते हैं । कृपया मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करें ।

(xix) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (संस्थागत निवेशक) और अभिरक्षक के लिए नोट

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (याने व्यक्तियों एचयुएफ, एनआरआई आदि को छोडकर और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर स्वयं को कार्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मोहर और हस्ताक्षर हों, helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल की जाए।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड के साथ अनुपालन यूज़र का सृजन किया जाए। अनुपालन यूज़र मतदान देने हेतु अपनी इच्छानुसार खाते लिंक कर पाएंगे।
- लॉगइन में लिंकड खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल की जाए और खातों के अनुमोदन के बाद वे अपना वोट दे पाएंगे।
- जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्यतारनामा (पीओए), यदि हो तो, की स्कैन की गई प्रति, पीडीएफ फार्मेट में अपलोड की जाए ।
- यदि आपको ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप www.evotingindia.com में सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) और ई-वोटिंग नियमावली का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल भेज सकते हैं। (सीडीएसएल हेल्पलाइन नम्बर 1800 200 5533)

सामान्य सूचना :

क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 03.05.2017 को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी और शुक्रवार, 05.05.2017 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, अंतिम तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) (मतदान के लिए) 29.04.2017 को बैंक के शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर हैं, इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी द्वारा वोटिंग हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल कर दिया जाएगा । शेयरधारक द्वारा संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद, शेयरधारक द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता।

ख) आपको सलाह दी जाती है कि रिमोट ई-वोटिंग या साधारण बैठक में मतदान द्वारा अपना वोट दें। शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी साधारण बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उन्हें बैठक में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ग) कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 20 के बदले में प्रतिस्थापित कंपनी संशोधन नियम, 2015 (प्रबन्धन एवं प्रशासन के अनुपालन में इलेक्ट्रानिक माध्यम या मतदान प्रक्रिया के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा वोट देने की पात्रता निर्धारित करने हेतु अंतिम तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) वह तिथि है जो, साधारण बैठक की तिथि से सात दिन से पूर्व की न हो याने शनिवार, 29.04.2017. शेयरधारक जो 29.04.2017 को हिताधिकारी स्वामी हैं, रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। अन्य शब्दों में, 29.04.2017 को शेयर

रखने वाले शेयरधारक ही इलेक्ट्रानिक रूप से वोट देने हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एक्सेस कर पाएंगे और/ वार्षिक साधारण बैठक में भौतिक मतदान में भाग ले पाएंगे।

16. मतदान पर्ची का वितरण इस संबंध में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा साधारण बैठक स्थान में इस संबंध में घोषणा के तुरंत बाद प्रारंभ होगा । प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा साधारण बैठक में मतदान हेतु संकल्पों पर चर्चा की समाप्ति पर, साधारण बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग कर अपना वोट नहीं दिया है, द्वारा मतदान पर्ची का उपयोग करते हुए जांचकर्ता की सहायता से मतदान हेतु अनुमति देंगे ।

शेयरधारक मतदान पर्ची की कार्यसूची मदों के आगे अपना अनुमोदन दर्शाते हुए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और उसे साधारण बैठक स्थान में रखे गए मतदान पेटी (पेटियों) में जमा कर सकते हैं।

इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी ।

मतदान के परिणाम, रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के समेकित परिणाम को बैंक की वैबसाईट और रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी की वैबसाईट अर्थात् सीडीएसएल में पोस्ट किया जाएगा और आम बैठक की समाप्ति के बाद 48 घंटों के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा ।

नोट :

बैंक को अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक वार्षिक साधारण बैठक की कार्यसूची मदों के संबंध में, कोई सुझाव देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं आदि अपने सुझाव, प्रश्न आदि बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय के निवेशक सेवा अनुभाग को भेजें।

सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अनुसार की जाने वाली विवरणात्मक विवरणी तथा प्रकटन :

मद सं. 1

भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन द्वारा ईक्विटी शेयर जारी करके पूंजी बढाना :

क) अधिमान्य जारी करने का उद्देश्य :

व्यवसाय वृद्धि स्तर, जोखिम आधारित आस्तियों में वृद्धि के कारण भविष्य पूंजी अपेक्षाओं को जुटाने हेतु बैंक भारत सरकार से ईक्विटी इन्फ्यूशन के रूप में टायर । पूंजी में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखता है ।

ख) भारत सरकार ने दिनांक 16 मार्च, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि वे, कुछ शर्तों के अधीन रु 1100 करोड़ तक पूंजी लगाना चाहती है । भारत सरकार ने दिनांक 23 मार्च, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि वे राशि को दिनांक 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले प्रेषित करेंगे जिस हेतु बैंक को इस राशि को ईक्विटी शेयर में परिवर्तन होने तक बैंक की सीईटी -1 पूंजी के भाग के रूप मानने हेतु भारिबैंक से अनुरोध करना होगा । भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 को राशि प्रेषित की गयी है तथा बैंक ने प्राप्त आवेदन धन राशि को सीईटी-1 पूंजी के रूप में मानने हेतु भारिबैंक को आवेदन दिया है तथा उनका अनुमोदन अपेक्षित है ।

ग) भारत सरकार - बैंक के प्रोमोटर को अधिमान्य आधार पर रु 1100 करोड़ (प्रीमियम सहित) के ईक्विटी शेयरों का आबंटन किया जाएगा ।

घ) जारी से पहले तथा बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न :

क्रमांक	श्रेणी	जारी पूर्व (31.03.2017 को)		जारी के बाद	
		शेयरों की संख्या	आबंटन पूर्व प्रदत्त पूंजी का %	शेयरों की संख्या	आबंटन के बाद प्रदत्त पूंजी का %
क	प्रोमोटरों की होल्डिंग				
1	प्रोमोटर्स				
	भारत सरकार	**417310282**	**61.2643**	**608947912**	**69.7694**
	विदेशी प्रोमोटर्स				
2	कंसर्ट में कार्यरत व्यक्ति				
	उप कुल **(1 & 2)**	**417310282**	**61.2643**	**608947912**	**69.7694**
ख	गैर-प्रोमोटर होल्डिंग				
3	संस्थागत निवेशकताएं				
क	म्युच्युअल फण्ड तथा यूटीआई	2563039	0.3763	2563039	0.2937
ख	बैंक, बीमा कंपनियां (केन्द्र, राज्य सरकारी संस्थाएं/गैर-सरकारी संस्थाएं)	101652611	14.9233	101652611	11.6467
ग.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकर्ताएं	37531439	5.5099	37531439	4.3001
	उप कुल	**141747089**	**20.8095**	**141747089**	**16.2405**
4	अन्य				
क	प्राईवेट कार्पोरेट बाडी	20171708	2.9614	20171708	2.3111
ख	भारतीय जनता	98329737	14.4356	98329737	11.2660
ग	एनआरआई/ओसीबी	3065653	0.4501	3065653	0.3512
घ	अन्य कोई	539023	0.0791	539023	0.0618
	उप कुल	**122106121**	**17.9262**	**122106121**	**13.9901**
	उप कुल **(3)** एवं **(4)**	**263853210**	**38.7357**	**263853210**	**30.2306**
	सकल कुल	**681163492**	**100.00**	**872801122**	**100.00**

ड़) बैंक जारी प्रक्रिया को सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में सूचित निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का प्रयास करेगा ।

च) चूंकि संपूर्ण जारी भारत सरकार, जो बैंक के प्रमुख शेयरधारक तथा प्रोमोटर है, हेतु उद्देशित है, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

भारत सरकार की जारी पूर्व एवं जारी के बाद की शेयर होल्डिंग निम्न अनुसार है :

	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी के प्रतिशत
जारी पूर्व	417310282	61.2643
जारी के बाद	608947912	69.7694

भारत सरकार ने दिनांक 16 मार्च, 2017 के पत्र सं. एफ. सं. एफ./38/2014-बीओए द्वारा सूचित किया है कि वे, भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान्य आबंटन के रूप में रु 1100 करोड़ (रुपाये गयारह सौ करोड़ मात्र) तक पूंजी लगाना चाहती है ।

भारत सरकार, जो बैंक के प्रेामोटर है, बैंक के प्रति अपना नियंत्रण जारी रखेगी तथा प्रस्तावित अधिमान्य आबंटन के कारण प्रबंधन/बैंक के प्रति नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

बैंक के ईक्विटी शेयर छः महीने से अधिक से लिस्ट किए गए हैं तथा तदुनसार सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम, 2009 के अधिनियम 78 (3) तथा 78(5) के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

अधिमान्य जारी के संबंध में सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिमान्य आधार पर प्रोमोटर्स, अर्थात् भारत सरकार को जारी किए जाने वाले शेयर व्यापारी अनुमोदन तिथि से तीन वर्ष हेतु स्थगित होंगे ।

भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमान्य होल्डिंग संबद्ध तिथि से स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मंजूर व्यापारी अनुमोदन तिथि से छः महीने तक स्थगित होगी ।

इन विनियम की अपेक्षाओं के अनुसार जारी किया गया, यह प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा परीक्षकरों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र विशेष आम बैठक में रखा जाएगा ।

भारत सरकार द्वारा रखे गए सभी शेयर डीमेटीरियलाइज रूप में होंगे तथा बैंक स्टॉक एक्सचेंज के साथ किया गया लिस्टिंग करार, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर लिस्ट किया जाएगा, में निर्धारित ईक्विटी शेयर की लिस्टिंग की शर्तों का अनुपालन कर रहा है । भारत सरकार ने संबद्ध तिथि से छःमहीनों के दौरान बैंक के किसी शेयर की बिक्री नहीं की ।

आपके निदेशक सूचना में बताए अनुसार संकल्पों की सिफारिश करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक को उपर्युक्त संकल्प(पों) में, बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा और पूंजी जुटाने में उनकी प्रतिभागिता, यदि हो, के आगे कोई हित या संबंध नहीं है।

<u>सूचना की मद सं. 2 में उल्लिखित व्यापार के संबंध में विवरणात्मक विवरणी</u>

अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट, फॉलो-ऑन पब्लिक आफर द्वारा पूंजी जुटाना आदि

अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट द्वारा अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर आदि के माध्यम से पूंजी जुटाना जिससे बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार का स्टेक भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसे प्रतिशत से कम न हो।

क. बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूंजी रु.681.16 करोड़ है और दि. 31.03.2016 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.36 % है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट 9% से कहीं अधिक है। तथापि, बैंक की विकास

योजनाओं, बेसल -III मानकों का कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पूंजी को और अधिक बढाते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ बनाने की आवश्यकता है।

ख. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंक की प्रदत्त पूंजी बढाने हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

ग. सेबी विनियम, 2015 (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियम 41 के उप-खण्ड (4) के अनुसार जब कभी बैंक द्वारा कोई नया निर्गम या ऑफर किया जा रहा हो तो, वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर वही शेयर दिए जाने चाहिए जब तक कि साधारण बैठक में शेयरधारक इसके विपरीत निर्णय न लें। उक्त संकल्प, यदि पारित हो, बैंक की ओर से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर देने के स्थान पर प्रतिभूतियों के सृजन, ऑफर और आबंटन की अनुमति प्राप्त होगी।

घ. संकल्प के माध्यम से बैंक क्यूआईपी, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर राइटस इश्यू आदि के माध्यम से ईक्विटी शेयर/ अधिमानी शेयर/ प्रतिभूति के सृजन, ऑफर और आबंटन कर पाएगा। निर्गम प्राप्तियों से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को सुदृढ कर पाएगा।

ङ. संकल्प में आईसीडीआर विनियमों में परिभाषित अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों के साथ अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेस्मेंट द्वारा शेयर जारी करने के लिए निदेशक मंडल को सशक्त करने की माँग है । निदेशक मंडल अपने विवेकानुसार आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत निर्धारित इस पद्धति को बैंक द्वारा शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना निधि जुटाने के लिए अपना सकता है ।

आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूति "संबद्ध तिथि" के पूर्व के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेज में ईक्विटी शेयरों के सप्ताह के उच्चतम एवं न्यूनतम संवरण मूल्य के औसत से कम मूल्य में जारी नहीं किया जा सकता है । "संबद्ध तिथि" का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बैंक के बोर्ड या समिति द्वारा क्यूआईपी निर्गम जारी करने का निर्णय लिया गया ।

च. बैंक की 16वीं वार्षिक आम बैठक में क्यूआईबी के साथ क्यूआईपी सहित विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत पूंजी जुटाने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया था। दिशा-निर्देशों के अनुसार संकल्पों की वैधता ऐसे क्यूआईपी के लिए बारह माह तक सीमित है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए (उपर्युक्त मद (क) में बताए अनुसार), पुन: शेयरधारकों की अनुमति मांगी जा रही है।

छ. चूंकि ऑफर का मूल्य-निर्धारण केवल बाद में ही किया जा सकता है, शेयरों / प्रतिभूतियों के निर्गम का मूल्य बता पाना संभव नहीं है। तथापि, यह आईसीडीआर विनियम, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 और समय समय पर यथा आशोधित आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 या कोई अन्य दिशा-निर्देश/ विनियम / सहमति आदि, जो लागू /अपेक्षित हों, के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

ज. ईक्विटी शेयरों के निर्गम के विस्तृत नियम और शर्तें, जब और जैसे बनाए जाएंगे, मर्चंट बैंकर, अग्रणी प्रबंधक, सलाहकार और बैंक द्वारा अपेक्षित माने गए ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श से वर्तमान बाजार परिस्थिति और अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। संकल्प द्वारा बोर्ड को एक या अधिक भागों में ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर और ऐसे निवेशकों को, जिनका उल्लेख उसमें किया गया है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित मानता है, शक्तियां प्राप्त होंगी।

झ. चूंकि ऑफर का मूल्य-निर्धारण केवल बाद में ही किया जा सकता है, शेयरों / प्रतिभूतियों के निर्गम का मूल्य बता पाना संभव नहीं है। तथापि, यह आईसीडीआर विनियम, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 और समय समय पर यथा आशोधित आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 या कोई अन्य दिशा-निर्देश/ विनियम / सहमति आदि, जो लागू /अपेक्षित हों, के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

ञ. उपर्युक्त कारणों से, ऐसे संकल्प का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु पर्याप्त स्वेच्छा और विवेकाधिकार प्राप्त हो सके।

ट. ऐसे जारी किए गए ईक्विटी शेयर, सभी प्रकार से लाभांश सहित बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

इस प्रयोजन के लिए बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अत: उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति मांगी गई है।

आपके निदेशक सूचना में बताए अनुसार संकल्पों की सिफारिश करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक को उपर्युक्त संकल्प(पों) में, बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा और पूंजी जुटाने में उनकी प्रतिभागिता, यदि हो, के आगे कोई हित या संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल हेतु और की ओर से

स्थान: हैदराबाद **वाई. अमरनाथ**
स्थान : 07.04.2017 **कंपनी सचिव**

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

उपस्थिति स्लिप-सह-प्रवेश पास

असाधारण आम बैठक

दिनांक : 06.05.2017

समय : प्रात: 11.00 बज़े

स्थान : 'पट्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004

उपस्थिति पर्ची

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)		**डी पी आई डी एवं** **ग्राहक आई डी** (यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

.....

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)		**डी पी आई डी एवं** **ग्राहक आई डी** (यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/शेयरधारक के प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक स्थल में प्रवेश हेतु उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को, बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर करके, प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें। तथापि प्रवेश, आवश्यक माने गए सत्यापन/जाँच की शर्त पर है। प्रवेश पास शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को वापिस सौंप दिया जाएगा, जिसे बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु कोई डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा ।

.....

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004

मत पत्र पास

(मत पत्र प्राप्त करने हेतु पोलिंग काउण्टर पर जमा करें)

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)		**डी पी आई डी एवं** **ग्राहक आई डी** (यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालयः डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004

फार्म-बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

पंजीकृत फोलियों नं
(यदि अमूर्त न हो)
डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि अमूर्त हो)
शेयरों की संख्या

मैं/हम_____निवासी_____जिला_____

राज्य_____ आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतत्-द्वारा

श्री/श्रीमती_____ निवासी_____

जिला_____ राज्य_____ या इनके न आने पर

श्री/श्रीमती_____निवासी_____

जिला_____ राज्य_____ को शनिवार, 06.05.2017 को प्रात: 11.00 बज़े 'पट्टाभि भावनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004 में होने वाली आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक और उसके किसी स्थगन में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

दिनांक ----------2017 को हस्ताक्षरित

रु 1/- का राजस्व स्टांप

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**
Dept: Board Secretariat
(Merchant Banking Division)
प्रधान कार्यालय **Head Office** :: हैदराबाद **Hyderabad.**

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ANDHRA BANK will be held on Saturday, May 06, 2017 at 11.00 A.M. at 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, 5-9-11,Saifabad, Hyderabad- 500004 to transact the business set out below:

Item No.1: Raising of capital by issuance of equity shares by way of preferential allotment to Government of India:

To consider and, if thought fit, pass with or without modification(s), the following Special Resolutions:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations], Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot **upto 19,16,37,630 (Nineteen Crores Sixteen Lakhs Thirty Seven Thousand Six hundred and Thirty) equity shares** of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at **Rs. 57.40p per equity share** including premium of **Rs. 47.40**p per equity share as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating upto **Rs.1100** Crore on preferential basis to Government of India (President of India)."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **06.04.2017**".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued, shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines, that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and CEO and/or Executive Director(s) (in absence of the Managing Director & Chief Executive Officer) to give effect to the aforesaid Resolutions."

Item No 2: Raising of capital through Qualified Institutional Placement, Follow on Public Offer, etc.

To consider and, if thought fit, pass with or without modification(s), the following Special Resolutions:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (Scheme) and Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and/or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and/or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, upto such amount/s (as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank) which together with the existing paid-up equity share capital of Rs.681.16 Crores will be within Rs.3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank, as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a manner that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India,

whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Members, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-resident Indians (NRIs), Companies, Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and/ or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines to issue such securities to investors, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the provisions of the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India(SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the Bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP), pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations..

a) the allotment of securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within twelve months from the date of this resolution.
b) The Bank is pursuant to Proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the price so calculated for the QIP, subject to the approval of shareholders as specified in clause (a) of Regulation 82 of SEBI ICDR Regulations.
c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board" .

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runners, Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity/ preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/ or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of

shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of securities/exercise of warrants/redemption of securities, rate of Interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of securities, the price, premium or discount on issue/ conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares/ securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer and/or to the Executive Director/(s) in the absence of the Managing Director & Chief Executive Officer to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors

Place : Hyderabad
Date : 07.04.2017

Y. Amarnath
Company Secretary

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

 The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **VOTING RIGHTS**

 In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, Banking companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1980 no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

 Subject to the above, as per Regulation 68 of Andhra Bank (Shares and Meeting) Regulations, 2003 (The Regulation), each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut off (Specified Date) date, i.e. 29.04.2017,** shall have one vote for each share held by him/her in remote e-voting / voting through poll.

 Please note that the shareholders who hold the shares as on this date are only eligible to vote through Remote e-voting.

 Exercise of rights of joint holders:

 As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting**.

3. **SENDING OF EGM NOTICE TO THE SHAREHOLDERS**

 The Bank has sent the notice of EGM to the shareholders appearing in the list of beneficial owners **as on Friday, 07.04.2017.**

4. **APPOINTMENT OF PROXY**

 A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and to participate in the POLL at the venue of the General Meeting instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

 In order to be effective, the proxy form must be deposited at the Head Office of the Bank atleast four days before the date of the meeting i.e upto 05.00 p.m on or before 29.04.2017. No employee of the Bank shall be appointed as a duly authorized representative or as a proxy.

5. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

 No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company, unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than four days before the date of the meeting meeting i.e upto 05.00 p.m on or before 29.04.2017.

6. **ATTENDANCE SLIP -CUM- ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter Entry slip shall be issued to them. Proxy/ Authorised Representative of the shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

7. **POLL PROCESS**

The voting on the Agenda item will not be on the basis of show of hands but shall be done by remote e-voting and poll by means of a secret ballot at the venue of the General Meeting.

The consolidated Results of Remote e-voting and Poll will be posted on the website of the Bank and on the website of the remote e-voting Agency and will be informed to the Stock Exchanges.

8. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS**

In terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility besides physical ballot, for its Members at the Extraordinary General Meeting which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTION.

The facility to exercise the right to vote on resolutions proposed to be considered at General Meeting by the shareholders, by electronic means has been termed as 'Remote e-voting' by Ministry of Corporate Affairs vide their Notification dated 19.03.2015. These Rules are called as the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015.

For this purpose, the Bank has appointed M/s. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as Remote e-voting platform for facilitating its Members to vote electronically. The Bank has also appointed M/s S.N Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretaries, Thane, as the Scrutiniser for conducting the Remote e-voting process and the POLL process in a fair and transparent manner.

Shareholders who have already casted their vote prior to the meeting date i.e., through Remote e-voting would not be entitled to vote through Poll at the venue of the meeting. Remote e-voting is OPTIONAL.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

(i) The remote e-voting period begins at 10.00 A.M. on 03.05.2017 and ends at 5.00 P.M. on 05.05.2017. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Specified date), 29.04.2017, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the Remote e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID
b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID
c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form as or cut-off date (Specified date), 29.04.2017
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA /Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank's / RTA's records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank / RTA, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for Remote e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for Remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xii) Click on the EVSN for the relevant <ANDHRA BANK> on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xviii) If Demat account holder has forgotten the changed password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobile. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Window phone store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xx) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com; and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- In case you have any queries or issues regarding Remote e-voting , you may refer the Frequently Asked Questions (" FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under the help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com (CDSL Helpline No. 18002005533 and Contact Person Name is Mr. Mehboob Lakhani)

General Information:

(A) The Remote e-voting period begins from 10 A.M. on Wednesday, 03.05.2017 and ends at 05.00 P.M. on Friday, 05.05.2017. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Specified date) for voting, 29.04.2017, may cast their vote electronically. The Remote e-voting module will be disabled by the Remote e-voting Agency for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

(B) You are advised to cast your vote through Remote e-voting or through Poll at the Extraordinary General Meeting. A Shareholder may attend the General Meeting even after

exercising his/her right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to participate in the POLL at the venue.

(C) In compliance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the cut-off date (Specified Date) to determine the eligibility of the shareholders to vote by electronic means or through POLL process***, is a date not earlier than seven days before the date of General Meeting***, i.e. Saturday, 29.04.2017. The shareholders who are the Beneficial owners as on 29.04.2017 will be eligible to participate in Remote e-voting. In other words, the shareholders holding shares as on 29.04.2017 only will be able to access the remote e-voting module to vote electronically and/or participate in the physical POLL at the venue of the General Meeting.

(D) The issue of POLL Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Managing Director and CEO at the venue of the General Meeting. The Managing Director and CEO shall at the General Meeting at the end of discussion on the Resolution on which voting is to be held, allow voting with the assistance of the scrutinizer by use of polling paper for all those members who are present at the General Meeting but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

Shareholders may exercise their right by indicating their approval against the agenda item in the POLL paper and deposit them in the POLL Box(es) kept at the venue of the General Meeting.

The counting of votes would be taken up thereafter.

The consolidated results of remote e-voting and Poll will be posted on the website of the Bank and on the website of the remote e-voting agency, viz., CDSL, and will be informed to the Stock Exchanges, within 48 hours of holding of the General Meeting.

Note:

Bank shall highly appreciate if shareholders, desirous of making any suggestion, seeking clarification, etc. relating to the item of agenda only, at the General Meeting, may send their suggestions, Queries, etc. so as to reach the Investors' Services Cell at Head Office of the Bank atleast 15 days before the date of meeting.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

Item No. 1

Raising of capital by issuance of equity shares by way of Preferential allotment to Government of India (GOI) :

a) **Object of the Preferential Issue:**

To meet the future capital requirements arising out of the growing business levels, growth in Risk Weighted Assets, the Bank proposes to shore up Tier I Capital, by way of equity infusion from Government of India.

b) GOI vide their letter dated 16th March, 2017 has informed that they, subject to certain conditions intend to infuse capital to the extent of Rs.1100 Crore. GOI vide their letter dated 23rd March 2017 has informed that they would be remitting the money on or before 31st March 2017 and requested RBI for treating the amount as part of CET-1 capital of the

Bank till it is converted into equity shares. GOI has remitted the amount on 31st March 2017 and the Bank has made the requisite application with RBI for treating the application money received as part of CET-1 capital on 31st March 2017 and their approval is awaited.

c) The equity shares to the tune of Rs.1100 Crore (including premium) will be allotted on preferential basis to Government of India – the Promoter of the Bank.

d) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Pre-allotment (as on 31.03.2017)		Post allotment	
		No. of shares held	% of pre-allotment paid-up capital	No. of shares held	% of Post-allotment Paid Up Capital
A	**Promoter's Holding**				
1	**Promoters**				
	Government of India	**417310282**	**61.2643**	**608947912**	**69.7694**
	Foreign promoters				
2	**Persons acting in concert**				
	Sub Total of (1 & 2)	**417310282**	**61.2643**	**608947912**	**69.7694**
B	**Non –Promoter Holding**				
3	**Institutional Investors**				
a	Mutual Funds and UTI	2563039	0.3763	2563039	0.2937
b	Banks, Insurance Companies (Central/ State Govt.Institutions / Non-Govt. Institutions)	101652611	14.9233	101652611	11.6467
c.	Foreign Portfolio Investors	37531439	5.5099	37531439	4.3001
	Sub Total	**141747089**	**20.8095**	**141747089**	**16.2405**
4	**Others**				
a	Private Corporate Bodies	20171708	2.9614	20171708	2.3111
b	Indian Public	98329737	14.4356	98329737	11.2660
c	NRIs/OCBs	3065653	0.4501	3065653	0.3512
d	Any Other	539023	0.0791	539023	0.0618
	Sub Total	**122106121**	**17.9262**	**122106121**	**13.9901**
	Sub Total of (3) and (4)	**263853210**	**38.7357**	**263853210**	**30.2306**
	Grand Total	**681163492**	**100.00**	**872801122**	**100.00**

d) The Bank shall Endeavour to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

e) As the entire issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Paid-up Capital
Pre Issue	417310282	61.2643
Post Issue	608947912	69.7694

Government of India vide their letter No: F/38/2014-BOA dated 16th March, 2017 communicated its intention to allocate capital to the extent of Rs.1100 Crore (Rupees Eleven Hundred Crore only) to the bank subject to certain conditions.

Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.

As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval Granted for the Shares.

The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date up to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchanges.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

All the shares held by the Government of India are in dematerialised mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

Your Directors recommend the SPECIAL RESOLUTION as set out in the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank and their participation in the raising of capital, if any.

Explanatory Statement in respect of the business mentioned against item no.2 of the Notice

Item No. 2

Raising of capital through Qualified Institutional Placement, Follow-on Public offer, etc.:

To raise capital by way of Qualified Institutional Placement to Qualified Institutional Buyers, Follow-on Public Offer, etc., in such a manner that the Central Government's stake in the equity paid-up capital of the bank will not go below such percentage as may be decided by Government of India.

a. The present Paid-up Capital of the Bank is Rs.681.16 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31.12.2016 is 11.36 % which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of the growth plans of the Bank, the implementation of BASEL-III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

b. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for increasing the paid-up capital of the Bank.

c. Sub-Clause (4) of Regulation 41 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to create, offer, issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

d. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares / preference shares / securities by way of QIP, Follow-on Public Offer, Rights Issue etc. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

e. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to issue shares through Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, issue of securities on QIP basis can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the equity shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

f. The approval of the General Body at the 16th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including QIPs with QIBs was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to twelve months for such QIPs. Keeping in view the future requirements (as denoted in Point (a) above), the approval of the shareholders is sought once again.

g. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares / securities to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 and the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as

amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents, etc. as may be applicable / required.

h. The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may required to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares / Securities in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

i. For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

j. The equity shares issued, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For the above-mentioned purposes of the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposals.

Your Directors recommend the SPECIAL RESOLUTION as set out in the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank and their participation in the raising of capital, if any.

By order of the Board of Directors

Place : Hyderabad
Date : 07.04.2017

Y. Amarnath
Company Secretary

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 06.05.2017
Time: 11.00 A.M.
Place: 'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, Saifabad, Hyderabad – 500 004

ATTENDANCE SLIP

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/Authorised Representative)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

.....

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004

ENTRY PASS
(to be retained throughout the meeting)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio		**DP ID & Client ID**	
(If not dematerialized)		(If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

Shareholders / Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the Entry Pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The Entry Pass – Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip- cum-Entry Pass cum Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.

.....

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004,

BALLOT PAPER PASS

(to be surrendered at the Polling Counters to get Ballot Paper)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio		**DP ID & Client ID**	
(If not dematerialized)		(If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.

FORM - B

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)
DP ID No.
Client ID No. (if Dematerialised)
No. of shares

I / We _____ resident/s of _____ in the District of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Andhra Bank, Hyderabad, hereby appoint Shri / Smt._____ Resident of _____ in the District of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri / Smt _____Resident of _____in the District of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank to be held on **Saturday, May 06, 2017** at 11.00 A.M. at Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank Head Office, Saifabad, Hyderabad – 500004 , and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of_____2017

Please affix Revenue Stamp Re.1/-

_____ _____

Signature of Proxy

Signature of first named / sole shareholder

Name: _____

Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing;
 c) in the case of a body corporate signed by its officers' or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.

2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.

3. The proxy together with
 a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.

 b. not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 05.00p.m. on Saturday, 29.04.2017

4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.

5. An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.

6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.

8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

9. Members who have caster their vote through Remote e-voting, will not be allowed to vote again at the General Meeting.

To

यदि सुपुर्द न किया गया हो तो, कृपया निम्न को लौटाए :

आन्ध्रा बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभाग
प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन,
5-9-11, **सैफाबाद,**
हैदराबाद - 500 004, **तेलंगाना.**

If Undelivered, Please return to:

ANDHRA BANK
Shareholders & Investors Relation Section,
Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan,
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004, Telangana.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Print@ Karshak: 040-27618261